न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 02/24 **सन् 2024**

जीसीएमएस संख्या 2024/18

बउनवानीः—कल्लू उर्फ कालू पुत्र गोविन्दा बैरवा निवासी हलोन्दा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. पदम सांखला पुत्र श्री लीलाराम खटीक नि. बाल मंदिर कॉलोनी बजरिया स0मा0
2. तहसीलदार लेण्ड होल्डर तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 01/2024 अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा — वकील अपीलान्ट,
2. श्री भोला शंकर शर्मा — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांकः—25.2.2026**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि योग्य अदालत मातेहत ने निर्णय दिनांक 30.1.2024 पारित करते समय हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 9.1.2024 पर गलत विश्वास किया है जिसकी विश्वसनीयता अपने आप ही गलत साबित हो जाती है क्योकि रिपोर्ट हल्का पटवारी व गिरदावर लहसोडा द्वारा ख0न0 713,714, 715, 706 ,716, 708,707,709 की अपीलान्ट के विरूद्व बिलकुल असत्य बेबुनियाद व रेस्पो. संख्या 1 से से मिलकर गलत रूप से प्रस्तुत की गयी है जिसकी सत्यता का पता पुनः रिपोर्ट कमिश्नर कानून मंगवायी जानी चाहिए। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलान्ट स्वंय एवं अन्य 213 व्यक्तियों ने राजस्व मुकदमा सन् 2005 में मोती वगै. बनाम राजस्थान राज्य जरिये सेटलमेंट विभाग सवाईमाधोपुर हाल टोंक राजस्थान वगै. मुकदमा हाल नम्बर 119/2015 डिक्री किया जा चुका है और जिसमे अपीलान्ट का नाम भी दावा मे वादी नम्बर 12 व 184 पर दर्ज है जिसका निर्णय दिनांक 24.11.2021 को हो चुका है जिसमे अपीलान्ट की भूमि की रिपोर्ट कई हल्का पटवारियो द्वारा तैयार की गयी फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम हलोन्दा के कम संख्या 19 पर अपीलान्ट के नाम 2.12 है0 भूमि पर कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत है इस रिपोर्ट मे ख0न0 नम्बर अंकित नही करके 0.18 है0 भूमि व कुल भूमि 2.12 है0 भूमि पर कब्जा काश्त आज भी चला आ रहा है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 733 रकबा 0.2100 है0 ख0न0 732 रकबा 0.1800 है0 ख0न0 710 रकबा 0.0400 है0, ख0न0 711 रकबा 0. 0700 है0, 712 रकबा 0.1200 है0 पर अपीलान्ट का कब्जा बजमाने सम्वत् 2010 से चला आ रहा है अपीलान्ट की खातेदारी मे पुराने ख0न0 112/5 रकबा 15 बीघा भूमि ग्राम

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

हलोन्दा तहसील सवाईमाधोपुर व अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता श्री गोविन्दा पुत्र हीरा निवासी हलोन्दा तहसील सवाईमाधोपुर मे पुराने ख0न0 98/15 रकबा 15 बीघा भूमि दर्ज है जो दोनो भाई के 1/2, 1/2 भाग की भूमि है। यह है कि आराजी ख0न0 733,732,710,711,712 पर सदैव से कब्जा काश्त खातेदारी भी चली आ रही है इस भूमि पर अपीलान्ट ने भूमि विकास बैंक से लोन लेकर कुंआ खुदवाया है जिसमे इस ख0न0 की सिंचाई हो रही है उक्त ख0न0 नम्बरों पर रेस्पो. पदम सांखला का कब्जा काश्त सन् 2005 से कभी भी नही रहा है ओर ना ही उसकी खातेदारी की भूमि है उसकी रजिस्ट्री भी प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होती है चूंकि विक्रय पत्र में जमाबन्दी की खतौनी संख्या नवीन व पुराने खाता संख्या भी दर्ज नही है जिससे प्रथम दृष्टया साबित नही है। यह है कि भूमि ख0न0 663,664,667,668,671,672,675,676,679,680,683,684,687,706,707,708,709,710,711,712,713, 714,715,716, 732,733,744 कुल खसरा 27 कुल रकबा 3.2400 है0 वाके ग्राम हलोन्दा तहसील सवाईमाधोपुर सम्वत् 2058 से लडडू पुत्र रंगा बैरवा निवासी हलोन्दा तहसील सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज खातेदारी को बराये बदयान्ति फर्जीवाडा करते हुए सम्पूर्ण ख0न0 को स्वर्गीय रामदेवा पुत्र श्री किशना बैरवा निवासी हलोन्दा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पूरे खाते को सन् 2000–2005 तक उसके नाम तब्दील करवाकर सम्मानीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के बाद तुरन्त ही बिना जमाबन्दी में फर्जी नामा0 के नामो के इन्द्राजात से ही विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सन् 2005 मे करवा ली जो फर्जीवाडा राजकीय कागजातो में किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त ख0न0 की आराजीयात पर विक्रेता स्वर्गीय रामदेवा व उसके पिता स्वर्गीय किशना बैरवा का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही क्रेता का आज दिनांक तक उक्त ख0न0 पर कब्जा काश्त रहा है किन्तु अदालत मातेहत द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही किया कि सन् 2005 से लेकर 2024 तक क्रेता का मौके पर इन आराजीयात पर कब्जा काश्त नही है मौके पर जगंल खडा होने के बावजूद जल्दबाजी में एवं अपीलान्ट को सबूत प्रस्तुत करने एवं जिरह करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 30.1.2024 को एक्सपार्टी आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट को योग्य अदालत द्वारा दिनांक 30.1.2024 के नोटिस जो दिनांक 2.1.2024 को प्राप्त होने पर अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मयाद पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के विरूद्व प्रस्तुत अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि रेस्पो0 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने पर नामा0 संख्या 108 दिनांक 5.10.2005 रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज हुई है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को मुझ रेस्पो0 की खातेदारी भूमि पर से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। जहॉ तक उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2021 की पालना मे उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष मे खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिये जाने का प्रश्न है तो उक्त निर्णय की पालना मे जरिये नामा0 संख्या 219 दिनांक 22.6.2022 से अपीलान्ट कालू पुत्र गोविन्दा बैरवा की खातेदारी मे साबिक ख0न0 117 मिन से बने हाल ख0न0 1531

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.33 है0, ख0न0 1532 रकबा 0.57 है0, ख0न0 1533 रकबा 0.20 है0, ख0न0 1534 रकबा 0.20 है0, ख0न0 611 रकबा 0.23 है0 एवं साबिक ख0न0 9 मिन से बने हाल 612 रकबा 0.13 है0, ख0न0 754 रकबा 0.11 है0, ख0न0 755 रकबा 0.17 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि दी गयी है एवं अपील में विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि वाके ग्राम हलुन्दा की विवादित भूमि आराजी ख0न0 663,664,667, 668,671,672,675,676,679,680,683,684,687,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716, 732,733,744कुल खसरा 27कुल रकबा 3.24 है0 रेस्पो0 की खातेदारी भूमि है जिसमे से ख0न0 710,711,712,732,733 पर अपीलान्ट का अनाधिकृत रूप से कब्जा होने के कारण तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को विवादित भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.01.2024 को जवाब पेश किया है जिससे अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने संबंधी तथ्यों की पुष्टि हो जाती है। जहाँ तक न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2021 का प्रश्न है तो उक्त निर्णय की पालना मे अपीलान्ट को अन्य ख0न0 1531,1532,1533, 1534, 611,612,754,755, कुल रकबा 1.94 है0 की खातेदारी दी गयी है जो वर्तमान मे अपीलान्ट की खातेदारी मे दर्ज है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner